

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.:—0141—2740837, फ़ैक्स 0141—2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप / (लिंक नंबर—43409\2013) / अलेसे—III / 301

दिनांक:— 22-02-2023

कार्यालय आदेश

श्री राजेश गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार (SBC) (लिंक नंबर 4340), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा लवाण (दौसा) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 92 के अन्तर्गत दिनांक 08.09.2022 से 19.10.2022 तक कुल 42 दिवस का उपार्जित अवकाश एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 93(2)(ए) के अंतर्गत दिनांक 20.10.2022 से 27.10.2022 तक कुल 08 दिवस का रूपान्तरित अवकाश तथा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत दिनांक 28.10.2022 से 16.01.2023 तक कुल 81 दिवस का असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण—पत्र के आधार पर) स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि का वेतन कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा लवाण (दौसा) में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—II,III)

क्रमांक:-प.(ई)निप / (लिंक नंबर—43409\2013) / अलेसे—III / 301

दिनांक:— 22-02-2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा लवाण (दौसा) को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन भुगतान एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावें।
2. निजी सचिव निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री राजेश गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार (SBC) (लिंक नंबर—43409\2013) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा लवाण (दौसा)
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—II,III)